

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग  
(उर्दू निदेशालय)

का०आ०सं० उ०नि० 87/2015.....67...../

पटना, दिनांक—25-7-17.....

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010 के उपबंधों के अधीन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति-सह-स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-19.07.2017 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के उर्दू निदेशालय के निम्नांकित कार्यालय परिचारी को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उल्लिखित वेतनमान में एम०ए०सी०पी० स्कीम के अधीन तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम ए०सी०पी० लाभ की तिथि एवं अपुनरीक्षित वेतनमान	द्वितीय ए०सी०पी० / एम०ए०सी० पी० लाभ की तिथि एवं अपुनरीक्षित / पुनरीक्षित वेतनमान+ग्रेड पे	तृतीय एम०ए०सी०पी० लाभ की तिथि+ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7
1	स्व० हेम चन्द्र चौधरी कार्यालय परिचारी, समाहरणालय मधुबनी।	02.03.56	16.12.85	—	—	16.12.2015 से तृतीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड—पे 2400/-

2. इस वित्तीय उन्नयन के कारण किसी कर्मी के वर्तमान पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कारण उच्चतर पद की हकदारी का दावा नहीं कर सकेंगे।

3. तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के पूर्व नियंत्री पदाधिकारी द्वारा सम्बद्ध कार्यालय परिचारी की सेवा पुस्त से सेवा-सत्यापन की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात ही वित्तीय लाभ दिया जाय। यदि सेवा-सत्यापन में त्रुटि रह गयी हो तो उसके निराकरण के बाद ही वित्तीय लाभ दिया जाय।

4. वित्त विभाग/अंकेक्षण द्वारा किसी प्रकार का संशोधन किये जाने पर प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उनसे भुगतान की गयी राशि की वसूली नियमानुसार कर ली जाएगी।

5. मृत कर्मी के संबंध में नियंत्रण पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि यदि उनके विरुद्ध पूर्व से किसी प्रकार का मामला यथा निलम्बन, विभागीय कार्यवाही एवं राशि वसूली का मामला लम्बित हो तो उनके पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही उन्हें एम०ए०सी०पी० के लाभ का भुगतान किया जाय।

6. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(इम्तियाज अहमद करीमी)  
निदेशक।

ज्ञाप सं०—...../(उर्दू), पटना, दिनांक—.....

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(इम्तियाज अहमद करीमी)  
निदेशक।

ज्ञाप सं०—527...../(उर्दू), पटना, दिनांक—25-7-17.....

3. प्रतिलिपि :- सम्बद्ध कार्यालय परिचारी के आश्रित को सूचनार्थ प्रेषित।

✓ 4. प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित।

(इम्तियाज अहमद करीमी)  
निदेशक।